राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

बईजलास – अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस) उपखण्ड अधिकारी

वादपत्र संख्या 29/2024

दायर दिनांक 24.01.2024

अनवान्

राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)।

.........वादी

बनाम्

1. पुष्पा पत्नि स्व. गौरू बंजारा निवासी दानपुरा तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)।
2. नाबालिग मुरली पुत्र गौरू संरक्षक सरपरस्त पुष्पा बंजारा निवासी दानपुरा तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)।
3. राधा पुत्री गौरू बंजारा निवासी दानपुरा तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)।
4. नाबालिग ललिता पुत्री गौरू संरक्षक सरपरस्त पुष्पा बंजारा निवासी दानपुरा तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)।
5. नाबालिग सजिता पुत्र गौरू संरक्षक सरपरस्त पुष्पा बंजारा निवासी दानपुरा तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)।

........प्रतिवादीगण

उपस्थित :– 01. पैरोकार तहसीलदार।
02. श्री सुमित जोशी – अधिवक्ता प्रतिवादीगण

कार्यवाही अर्न्तगत धारा 177 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

(मुहर: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा, सत्यमेव जयते)

:: निर्णय :–

दिनांक :– 13/11/2025

संक्षेप मे वादपत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने वादपत्र अर्न्तगत **धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम गुढ़ा पटवार मण्डल गुढ़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 39/2 रकबा 0.0324 हैक्टेयर किस्म बंजड़ भूमि प्रतिवादीगणों के नाम राजस्व रेकॉर्ड में खातेदारी हक से दर्ज रेकॉर्ड हैं। उक्त वर्णित आराजी नम्बर 39/2 रकबा 0.0324 हैक्टेयर किस्म बंजड़ भूमि में खातेदारो की मौके पर काश्त नहीं हैं।

लगातार पेज संख्या 02 पर

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा

उक्त वर्णित आराजीयात पर प्रतिवादी को मात्र कृषि कार्य हेतु खातेदारी अधिकार प्रदत्त था। प्रतिवादीगणों द्वारा भूमि पर कृषि कार्य नही किया जाकर प्रतिवादीगणों ने खातेदारी अधिकार की शर्तो की पालना नहीं कर आराजी नम्बर 39/2 रकबा 0.0324 हैक्टेयर भूमि पर खातेदारो द्वारा अवैध खनन किया जाकर मौके पर अनुपयोगी पत्थर व पानी भरा हुआ हैं।

अतः प्रतिवादीगणों को उक्त ग्राम गुढ़ा पटवार मण्डल गुढ़ा स्थित आराजी नम्बर 39/2 रकबा 0.0324 हैक्टेयर भूमि से बेदखल किया जाकर उक्त वर्णित आराजीयात को बिलानाम सरकार दर्ज करना फरमावें।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को नोटिस जारी किया गया। नोटिस बाद तामील प्राप्त हुये जो शामील पत्रावली हैं। विपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता सुमित जोशी ने अंडर ट्रेकिंग ली एवं अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली हैं।

अधिवक्ता प्रतिवादीगण श्री सुमित जोशी ने प्रस्तुत वादपत्र का जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली हैं।

अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने जवाब में अंकित किया कि वादपत्र की चरण संख्या 01 राजस्व रेकॉर्ड से संबंधित होने से जवाब के योग्य नही है। वादपत्र की चरण संख्या 02 सर्वथा गलत व असत्य हो अस्वीकार है। प्रतिवादीगण आराजी संख्या 39/2 रकबा 0.0324 हैक्टेयर भूमि में काश्त कर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। मौका पर्चा गलत बनाया गया हैं। वादपत्र की चरण संख्या 03 सर्वथा गलत व असत्य हो अस्वीकार है। प्रतिवादीगणो द्वारा उक्त वर्णित भूमि में वर्षो से कृर्षि कार्य किया जा रहा है। प्रतिवादीगणो द्वारा उक्त भूमि को गैर कृषि कार्य में नही लिया गया है। मौका पर्चा पटवार हल्का द्वारा गलत बनाया गया है। प्रतिवादीगणो द्वारा फसल कि पिलाई के लिए मौके पर कुआ खोदा गया जिसका मलवा बाहर पड़ा है व पानी के लिए खोदे गये कुए का गलत मौका पर्चा बनाया गया है। वादपत्र की चरण संख्या 04 सर्वथा गलत व असत्य हो अस्वीकार है। प्रतिवादीगणो द्वारा खातेदारी अधिकारो की पालना की जाकर मौके पर काश्त की जा रही है। अवैध खनन नही किया जा रहा है। प्रतिवादीगणो द्वारा पानी के लिए छोटा पोण्ड़ खोदा गया जिसका मलवा पड़ा हुआ है वह पोण्ड़ में पानी भरा हुआ है। मौके पर अवैध खनन का कोई पत्थर नहीं पड़ा हुआ है। मौका पर्चा गलत बनाया गया है। वादपत्र की चरण संख्या 05, 06 व 07 कानुनी होने से जवाब योग्य नही है। वादी द्वारा सत्यापन नही किया गया है व दावें के साथ शपथपत्र भी पेश नहीं किया गया है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र सव्यय खारिज फरमावें।

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 03 पर

वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य में मौका पर्चा ग्राम गुढ़ा का प्रस्तुत किया जो प्रदर्श–1 हैं, पटवारी हल्का गुढा का तहसीलदार बिजौलियां को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पेश किया जो प्रदर्श–2 हैं, नक्शा ट्रेस ग्राम गुढ़ा का पेश किया जो प्रदर्श–3 हैं, भ–नक्शा ग्राम गुढ़ा का पेश किया जो प्रदर्श–4 हैं, 3 डी गूगल मेप ग्राम गुढ़ा का पेश किया जो प्रदर्श–5 हैं, जीपीएस मेप केमरा ग्राम गुढ़ा का पेश किया जो प्रदर्श–6 हैं, की प्रतियां प्रस्तुत की हैं।

प्रकरण में वादी ने पी–डब्ल्यू– 1 सुनीता कुमारी पिता मन्नाराम बलाई पटवारी प0ह0 गुढा के बयान कराये जाकर शामिल पत्रावली हैं।

पी–डब्ल्यू–1 सुनीता कुमारी पिता मन्नाराम बलाई पटवारी प0ह0 गुढा ने अपने बयान में लिखाया कि ग्राम गुढ़ा प0ह0 गुढ़ा स्थित आराजी नम्बर 39/2 रकबा 0.0324 हैक्टेयर भूमि पुष्पा पत्नि गोरू हिस्सा 1/5 जाति बंजारा सा0 दानपुरा, नाबालिग मुरली पुत्र गौरू संरक्षक सरपरस्त पुष्पा हिस्सा 1/5 जाति बंजारा सा0 दानपुरा, राधा पुत्री गौरू हिस्सा 1/5 जाति बंजारा सा0 दानपुरा, नाबालिग ललिता पुत्री गौरू संरक्षक सरपरस्त पुष्पा हिस्सा 1/5 जाति बंजारा सा0 दानपुरा, नाबालिग सजिता पुत्र गौरू संरक्षक सरपरस्त पुष्पा हिस्सा 1/5 जाति बंजारा सा0 दानपुरा के नाम खातेदारी हक से दर्ज रेकॉर्ड हैं। उक्त आराजी पर दिनांक 18.01.2024 को गिरदावर स्वयं के साथ पहुंचकर मौका पर्चा बनाया गया। जो उक्तानुसार प्रदर्श होकर उस पर मेरे हस्ताक्षर हैं।

जिरह – उक्त आराजी ग्राम गुढ़ा के दक्षिण में ऐरू नदी के पास में स्थित हैं। मौका पर्चा बनाने की दिनांक याद नहीं हैं। पर्चा देखकर ही बता सकती हूं। उक्त भूमि में 4–5 बिस्वां में अवैध खनन हुआ। उक्त खड्डे का नाम चौप पानी भरा होने से नहीं किया। उक्त आराजी के पास प्रतिवादी की ओर भी जमीन हैं। यह अवैध खनन पूछताछ में महावीर बैरागी ने इन्हीं खातेदारों द्वारा करना बताया। मेप में आराजी का अंकन नहीं हैं। यह कहना गलत हैं कि गड्डा सिंचाई के लिए खोदा हो। गड्डा 10–15 वर्ष पुराना हैं।

प्रकरण में वादी द्वारा अन्य किसी प्रकार की शहादत वादी प्रस्तुत नहीं करने से साक्ष्यवादी बन्द की गयी।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 04 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

अधिवक्ता विपक्षी एवं पैराकार सरकार की बहस सुनी।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया अधिवक्ता विपक्षी एवं पैराकार सरकार की बहस पर मनन किया।

—: आदेश :—

प्रस्तुत वादपत्र **अन्तर्गत धारा 177राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता हैं कि मौजा ग्राम गुढ़ा पटवार मण्डल गुढ़ा स्थित आराजी नम्बर 39/2 रकबा 0.0324 हैक्टेयर किस्म बंजड़ भूमि से प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 का नाम राजस्व रेकॉर्ड से हटाया जाकर उक्त भूमि को पत्रावली में उपलब्ध नक्शा ट्रेस अनुसार बिलानाम सरकार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावें। पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावें।

आदेश आज दिनांक 13 / 11 /2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा